

न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर, जिला-जशपुर (छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी - श्रीमती सुमन सिंह)
दाण्डिक कार्य-विभाजन आदेश

क्रमांक-..क्यू../कार्य विभा./मुख्य न्यायि. मजि./2026

जशपुर, दिनांक 07/04/2026

मैं सुमन सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर, जिला जशपुर (छ0ग0), दाण्डिक कार्य विभाजन के संबंध में जारी किये गये पूर्व के समस्त आदेश को निरस्त करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 14(1) एवं 15 (2)/नवीन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12(1) एवं 13(2) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर एवं माननीय सत्र न्यायाधीश जशपुर के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुए राजस्व जिला जशपुर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण के मध्य निम्नानुसार दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश जारी करती हूँ, जो माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर के अनुमोदन पश्चात् से तत्काल प्रभावशील होगा :-

क्रं.	न्यायिक अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य का विवरण
1	2	3	4
1	(श्रीमती सुमन सिंह) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :- 1. थाना सिटी कोतवाली जशपुर, 2. थाना लोदाम 3. पुलिस चौकी मनोरा 4. आबकारी वृत्त, जशपुर	1. कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों तथा उक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत परिवाद पत्र, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, Pre-conception and Pre-Natal Daignostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों तथा खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना।
			2. थाना यातायात जशपुर एवं आर.टी.ओ. जशपुर से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			3. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना।
			4. नगर पालिका जशपुर से उद्भूत होने वाले नगर पालिका अधिनियम के समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।
			5. तहसील जशपुर एवं मनोरा से उद्भूत होने वाले भारतीय वन अधिनियम से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना।

			6. तहसील क्षेत्र जशपुर एवं मनोरा के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 7. राजस्व जिला जशपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न तेजाब फेंकने, कापीराईट एक्ट 1957 तथा ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 से उद्भूत होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 8. राजस्व जिला जशपुर के समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत होने वाले खारिजी के मामलों का निराकरण करना। 9. तहसील जशपुर एवं तहसील मनोरा से उद्भूत होने वाले आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आबकारी विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 10. थाना सिटी कोतवाली जशपुर, लोदाम एवं पुलिस चौकी मनोरा से उद्भूत स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण। 11. माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 8198 / (Checker) II-6-2/2020(MP/ML A) बिलासपुर दिनांक 19 सितम्बर 2020 के अनुसार एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। 12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जशपुर, माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, एफ. टी.सी. जशपुर द्वारा सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना। 13. ऐसे प्रकरण अथवा न्यायिक कार्य, जिनका विशिष्ट उल्लेख इस कार्य विवरण आदेश में न हो, का निराकरण करना।
--	--	--	---

2	(दिव्या गोयल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जशपुर, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :- 1. थाना आस्ता, 2. पुलिस चौकी सोनक्यारी 3. पुलिस चौकी आरा	1. — कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों एवं परिवाद प्रकरणों, Pre-conception and Pre-Natal Daignostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। 2. आरक्षी केन्द्र आस्ता, पुलिस चौकी सोनक्यारी, आरा से उद्भूत स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण करना। 3. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना। 5. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 169 एवं 173 दं.प्र. सं./धारा 189 एवं 154 भा.नाग.सु. संहिता के अधीन खारिजी हेतु/अपराध रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे। 6. वन परिक्षेत्र आस्ता, सोनक्यारी एवं आरा से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जशपुर, माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, एफ. टी.सी. जशपुर एवं मुख्य न्यायिक
---	--	---	---

			मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।
4	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कुनकुरी जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :- 1. थाना कुनकुरी, 2. थाना नारायणपुर, 3. थाना फरसाबहार, 4. थाना दुलदुला, 5. थाना तुमला, 6. थाना तपकरा, 7. पुलिस चौकी कोल्हेनझरिया, 8. पुलिस चौकी करडेगा, 9. पुलिस चौकी उपरकछार, 10. पुलिस चौकी गोरिया,	1. कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों एवं परिवाद प्रकरणों, Pre-conception and Pre-Natal Daignostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। 2. आरक्षी केन्द्र कुनकुरी, नारायणपुर, तुमला, तपकरा, फरसाबहार, दुलदुला पुलिस चौकी करडेगा, उपरकछार, कोल्हेनझरिया, गोरिया से उद्भूत स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण करना। 3. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराक्राम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना। 5. आबकारी वृत्त कुनकुरी से उत्पन्न छ.ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। 6. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 169 एवं 173 दं.प्र. सं./धारा 189 एवं 154 भा.नाग.सु. संहिता के अधीन खारिजी हेतु /अपराध रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे। 7. तहसील क्षेत्र कुनकुरी, फरसाबहार, दुलदुला, के अंतर्गत उद्भूत होने वाले

			Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 8. वन परिक्षेत्र कुनकुरी, तुमला, नारायणपुर, दुलदुला, तपकरा, फरसाबहार से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर, माननीय प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश कुनकुरी, माननीय द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश कुनकुरी एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये समस्त मामलों का निराकरण करना।
5	(कु. श्वेता अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :- 1. थाना पत्थलगांव, 2. थाना बागबहार, 3. पुलिस चौकी कोतबा,	1. कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों एवं परिवाद प्रकरणों, Pre-conception and Pre-Natal Daignostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना, उन मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है। 2. आरक्षी केन्द्र पत्थलगांव, बागबहार, पुलिस चौकी कोतबा से उद्भूत स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण करना। 3. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना। 4. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराकर्म्य

			लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना। 5. आबकारी वृत्त पत्थलगांव से उत्पन्न छ. ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना। 6. अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 169 एवं 173 दं.प्र. सं./धारा 189 एवं 154 भा.नाग.सु. संहिता के अधीन खारिजी हेतु/अपराध रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे। 7. नगर पंचायत पत्थलगांव, कोतबा से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण तथा वन परिक्षेत्र पत्थलगांव, बागबहार से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना। 8. तहसील क्षेत्र पत्थलगांव, बागबहार के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कास्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। 9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर, माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश पत्थलगांव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।
6	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा, जिला जशपुर (छ0ग0)	आरक्षी केन्द्र :- 1. थाना बगीचा, 2. थाना सन्ना, 3. थाना कांसाबेल, 4. पुलिस चौकी पण्ड्रापाठ, 5. पुलिस चौकी सुलेसा, 6. पुलिस चौकी दोकड़ा	1. कॉलम क्रमांक-3 में उल्लेखित आरक्षी केन्द्रों के क्षेत्रान्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपे गये कार्यों को छोड़कर) आपराधिक प्रकरणों एवं परिवाद प्रकरणों, Pre-conception and Pre-Natal Daignostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 से संबंधित प्रकरणों तथा खात्मा के प्रकरणों का निराकरण करना, उन

			मामलों को छोड़कर जिनका इस कार्य विभाजन आदेश में संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।
		2.	आरक्षी केन्द्र बगीचा, सन्ना, कांसाबेल, पुलिस चौकी पण्ड्रापाठ, सुलेसा, दोकड़ा से उद्भूत स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी पदार्थ में अल्प मात्रा के प्रकरणों का निराकरण करना।
		3.	अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम से संबंधित समस्त परिवाद प्रकरणों का निराकरण करना।
		4.	अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकरण का निराकरण करना।
		5.	आबकारी वृत्त कांसाबेल तहसील बगीचा जिला जशपुर, से उत्पन्न छ.ग. आबकारी अधिनियम के समस्त प्रकरणों का निराकरण करना।
		6.	अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र के क्षेत्र से संबंधित धारा 169 एवं 173 दं.प्र. सं./धारा 189 एवं 154 भा.नाग.सु. संहिता के अधीन खारिजी हेतु/अपराध रजिस्टर से विलोपित करने हेतु, प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विधिपूर्ण कार्यवाही संपूर्ण करते हुए खारिजी के संबंध में अपना मत देते हुए प्रतिवेदन, नियम एवं आदेश आपराधिक के नियम 101 एवं 102 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित किए जायेंगे।
		7.	नगर पंचायत बगीचा से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, एवं वन परिक्षेत्र बगीचा, कांसाबेल, सन्ना क्षेत्र से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण करना।
		8.	तहसील क्षेत्र बगीचा, कांसाबेल, सन्ना के अंतर्गत उद्भूत होने वाले Food safety & standards Act, दुकान स्थापना अधिनियम, नापतौल अधिनियम, ड्रग्स व कार्मेटिक्स एक्ट एवं मण्डी अधिनियम तथा कम्पनी अधिनियम के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण

			9.	करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर, माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश, जशपुर, माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश (एफ. टी.सी.) जशपुर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा सौंपे गये प्रकरणों का निराकरण करना।
--	--	--	----	--

(श्रीमती सुमन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर, (छ.ग.)

// आवश्यक दिशा-निर्देश //

- (1) यदि जशपुर मुख्यालय में पदस्थ किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण हो जाता है, और उसके स्थान पर तत्काल किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की जाती है, तो उस न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के थाना/चौकी क्षेत्र से उद्भूत नवीन दाण्डिक कार्य आगामी आदेश तक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।
- (2) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, अनुपस्थित रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर उनके न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य परिशिष्ट-“ए” (चक्रीय क्रमानुसार) के अनुसार सम्पादित किया जावेगा।
- (3) किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने, अनुपस्थित रहने, शासकीय दौरे पर रहने, मुख्यालय से बाहर रहने या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित रहने पर धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.नाग.सुरक्षा संहिता से संबंधित कथन अनुसूची-“बी” (चक्रीय क्रमानुसार) के अनुसार सम्पादित किया जावेगा।
- (4) दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश में किसी तात्त्विक उल्लेख के अभाव में मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।
- (5) जशपुर जिले के समस्त क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर, माननीय सत्र न्यायाधीश जशपुर के अनुमोदन उपरान्त चलित न्यायालय (Mobile Court) लगा सकेंगे।

- (6) समस्त आरक्षी केन्द्रों के खारिजी प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर के यहाँ प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा खात्मा प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

स्थान - जशपुर

दिनांक - 07/02/2026

Handwritten signature
Principal
District & Sessions Judge
Jashpur

Handwritten signature
(श्रीमती सुमन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर, (छ.ग.)

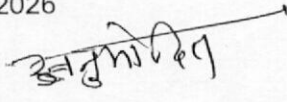
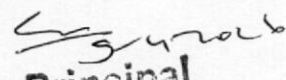
परिशिष्ट - (ए)

न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर होने की दशा में उनके न्यायालय से संबंधित अत्यावश्यक आपराधिक कार्य निम्नानुसार मजिस्ट्रेटगण द्वारा संपादित किया जावेगा :-

क्रमांक	अवकाश में होने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.	अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.	स्तम्भ क्रमांक-1 एवं 2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में होने से अत्यावश्यक कार्य देखने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम.
	स्तंभ क्रमांक- 1	स्तंभ क्रमांक- 2	स्तंभ क्रमांक- 3
1	(श्रीमती सुमन सिंह) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-जशपुर (छ.ग.)	(दिव्या गोयल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)
2	(दिव्या गोयल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्रीमती सुमन सिंह) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला-जशपुर (छ.ग.)	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)
3	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.)	(दिव्या गोयल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला जशपुर (छ.ग.)
4	(कु. श्वेता अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.)
5	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला जशपुर (छ.ग.)	(कु. श्वेता अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पथलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

- टीप :- (1) अवकाश में जाने से पूर्व प्रत्येक मजिस्ट्रेट प्रभार में रहने वाले मजिस्ट्रेट को अवकाश की सूचना देंगे।
- (2) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने अथवा न्यायालय रिक्त होने की दशा में उनके थाना क्षेत्रों से उत्पन्न संक्षिप्त विचारण द्वारा निराकृत किए जा सकने योग्य प्रकरण प्रभार रखने वाले मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत, पंजीबद्ध एवं निराकृत किये जावेंगे।
- (3) परिशिष्ट (ए) में दिये गये क्रमांक निरन्तरता में पढे जावे। जैस सीरियल क्रमांक (1) में स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) में उल्लेखित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश में रहने की दशा में कार्य व्यवस्था सीरियल क्रमांक (2) के स्तंभ क्रमांक (1), (2), (3) जैसी भी स्थिति हो, के न्यायिक मजिस्ट्रेट अत्यावश्यक कार्य को देखने की अधिकारिता एवं दायित्व रखेंगे।
- (4) परिशिष्ट (ए) के अन्तर्गत यदि स्तंभ क्रमांक (1) के मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं, एवं उनकी अनुपस्थिति में अत्यावश्यक कार्य देखने वाले क्रमशः स्तंभ (2) एवं (3) के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी अवकाश में रहते हैं, और जब अत्यावश्यक कार्य देखने वाले मजिस्ट्रेट के संबंध में शंकास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय में उपलब्ध वरिष्ठ न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्य का सम्पादन किया जावेगा।

दिनांक :- 07/02/2026



Principal
District & Sessions Judge
Jashpur (C.G.)


(श्रीमती सुमन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर, (छ.ग.)

परिशिष्ट - (बी)

धारा 164 दं.प्र.सं./नवीन धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत संस्वीकृति अभिलिखित करने वाले मजिस्ट्रेटगण का नाम एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट के नवीन संशोधन के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52(ए) से संबंधित पंचनामा कार्यवाही करने वाले थाना एवं पुलिस चौकी का नाम एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52(ए) के तहत पंचनामा तैयार करने वाले मजिस्ट्रेटगण का नाम-

1	2	3	4	5
क्र०	थाना/चौकी का नाम	संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम क्रमांक-3 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम	कॉलम क्रमांक-4 के अनुपस्थिति में संस्वीकृति लेखबद्ध करने वाले अधिकारी का नाम
1	थाना आस्ता, सन्ना, पुलिस चौकी सोनक्यारी, आरा, पण्ड्रपाठ, सुलेसा	(कु. चेताली खाण्डेकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)	(कु. नेहा तिर्की) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला-जशपुर(छ.ग.)
2	सिटी कोतवाली जशपुर, लोदाम, पुलिस चौकी मनोरा, के द्वारा प्रस्तुत (ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें विधि से संघर्षरत किशोर जो किशोर न्याय बोर्ड जशपुर से संबंधित है)	(कु. पूनम नशीने) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)	(दिव्या गोयल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला-जशपुर(छ.ग.)	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)
3	आरक्षी केन्द्र तुमला, फरसाबहार, तपकरा, कोल्हेनझरिया, करडेगा, उपरकछार	(कु. श्वेता अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला-जशपुर (छ.ग.)	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)	(कु. पूनम नशीने) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)
4	आरक्षी केन्द्र पत्थलगांव, बागबहार, कुनकुरी, नारायणपुर, दुलदुला पुलिस चौकी कोतबा, गोरिया	(श्रीमती अंकिता यदु) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा, जिला जशपुर (छ.ग.)	(कु. चेताली खाण्डेकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)	(दिव्या गोयल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर जिला-जशपुर(छ.ग.)
5	आरक्षी केन्द्र बगीचा, पुलिस चौकी दोकड़ा, कांसाबेल पुलिस चौकी	(कु. नेहा तिर्की) न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर, जिला जशपुर (छ.ग.)	(श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी जिला-जशपुर(छ.ग.)	(कु. श्वेता अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ.ग.)

टीप :- 1. धारा 164 दं.प्र.सं./183 भा.नाग.सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत होने वाले संस्वीकृति/कथन न्यायिक मजिस्ट्रेटगण आवश्यक रूप से प्रस्तुत किये जाने पर यथाशीघ्र विधिवत दं.प्र.सं./भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अभिलिखित करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

2. धारा एन.डी.पी.एस. एक्ट के नवीन संशोधन के अनुसार एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52(ए) से संबंधित पंचनामा कार्यवाही हेतु आरक्षी केन्द्र प्रभारी के द्वारा न्यायालय में पेश करने से एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 52(ए) के तहत पंचनामा तैयार करेंगे एवं संबंधित न्यायालय को पंचनामा सीलबंद कर प्रेषित करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(श्रीमती सुमन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर, (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश (एफ.टी.सी.) जशपुर को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. माननीय प्रथम जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश कुनकुरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
05. माननीय द्वितीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश कुनकुरी को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
06. माननीय जिला एवं अपर सेशन न्यायाधीश पत्थलगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
07. कलेक्टर जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
08. श्री नरेन्द्र कुमार तेन्दुलकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
09. श्रीमती अंकिता यदु, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बगीचा सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
10. कु. श्वेता अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पत्थलगांव को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
11. श्रीमती दिव्या गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
12. कु. चेताली खांडेकर, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
13. कु. पूनम नशीने, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
14. कु. नेहा तिकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी जशपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
15. पुलिस अधीक्षक जशपुर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. वन मण्डलाधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
17. जिला खाद्य अधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
18. जिला अभियोजन अधिकारी जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
19. जिला आबकारी अधिकारी, जशपुर को सूचनार्थ समस्त वृत्त प्रभारियों को सूचित करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. सहायक अभियोजन अधिकारी बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
21. अधिवक्ता संघ जशपुर/बगीचा/कुनकुरी/पत्थलगांव को सूचनार्थ प्रेषित।
22. प्रस्तुतकार, माननीय सत्र न्यायाधीश, जशपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
- ✓ 23. सी.आई.एस. सेन्टर जशपुर (कम्प्यूटर अनुभाग) को सूचनार्थ एवं वेबसाईट में अपलोड एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित हेतु।
24. प्रस्तुतकार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित।

दिनांक - 07/04/2026

(श्रीमती सुमन सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जशपुर, (छ.ग.)